

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक :- प.10(15)आयु./2022

जयपुर, दिनांक 13 JUN 2022

::-आदेश-::


राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम, 1973 के नियम 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंपानुसार निम्नांकित सहायक निदेशक/वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ग्रेड-11 के अभिलेख पूर्ण हो जाने से इनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष 2021-22 की रिक्ति के विरुद्ध उप निदेशक/वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ग्रेड-1 /प्रभारी अधिकारी आयुर्वेद विभाग (वेतनमान-पे मेट्रिक्स लेवल-16) के पद पर पदोन्नत किया जाता है:-

क.सं.	नाम सहायक निदेशक आयुर्वेद/वरि. आयु. चिकि. ग्रेड-11	संवर्ग	जन्म दिनांक	पात्रता क्रमांक	01.04.21 की वरिष्ठता सूची में क्रमांक	रिक्ति तिथि
1	जगदीश प्रसाद शर्मा	GEN	28-06-1963	118	118	01-04-2021
2	रमेशकुमार श्रीवैष्णव	GEN	21-01-1964	133	133	01-04-2021
3	रमेश चन्द मीणा	ST	01-07-1970	458	458	01-04-2021
4	हरकेश मीणा	ST	04-12-1968	670	670	01-04-2021
5	जगदीशप्रसाद बैरवा	SC	25-07-1970	672	672	01-04-2021
6	पप्पू लाल मीणा	ST	10-07-1972	697	697	01-04-2021
7	हनुमान मीणा	ST	01-07-1968	723	723	01-04-2021

नोट:-

- कार्मिक (क-2)विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.7(1)/डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20.06.2001 के परिप्रेक्ष्य में यदि उक्त अधिकारी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान उत्पन्न हुई हो तो पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगी। निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर यह सुनिश्चित करे कि इस आशय का संबंधित कर्मचारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करवाया जावे।
- विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र है, किन्तु पदोन्नति का नगद लाभ कार्यग्रहण दिनांक से देय होगा।

आज्ञा से,



(आर.एन.शर्मा)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
2. निजी सचिव, श्री रामूराम राईका, माननीय सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.05.2022 कार्यवाही विवरण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुष मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग को पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.05.2022 कार्यवाही विवरण की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।
5. निजी सचिव, शासन सचिव आयुष विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
7. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर को देकर निर्देशानुसार लेख है कि उक्त अधिकारियों के पदस्थापन के प्रस्ताव तत्काल भिजवाने का श्रम करावें।
8. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक- प.1/प्रति 1/राज/उप.नि./व.चि.ग्रेड-I/पदो0/2020-21/12037 दिनांक: 17/6/2022

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग राजस्थान-जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान।
4. समस्त उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान।
5. प्रभारी, प्रतिष्ठापन (प्रति 1 चिकि./गोपनीय शाखा) शाखा, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
6. संबंधित द्वारा संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष।
7. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को दी जाकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड एवं जरिये ई-मेल कराने बाबत।
8. सामान्य पत्रावली।

नोट:- सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष राज्य सरकार के उक्त निर्देशों यथा- सन्तान वचन पत्र प्रस्तुत करने एवं नियमान्तर्गत होने पर ही कार्यग्रहण करावें, निर्धारित 15 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करने पर स्वेच्छा से परित्याग (फोरगो) माना जावेगा एवं नगद लाभ कार्यग्रहण से देय होगा की पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करे तथा 15 दिवस की निर्धारित समयावधि समाप्त होने पर कार्यग्रहण करने वाले/कार्यग्रहण नहीं करने वाले/संतान वचन नियमान्तर्गत नहीं होने वाले अधिकारियों की सूचना निदेशालय को भिजवाया जाना भी सुनिश्चित करावें।

(डॉ राकेश कुमार गौड)
सहायक निदेशक